187

निगरानी 2438-I-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

1. मोतीलाल तनय रामनाथ रावत
2. मातादीन तनय रामनाथ रावत
3. राधवेन्द्र तनय मोतीलाल रावत
4. विमलेन्द्र तनय मोतीलाल रावत

निवासी ग्राम सलैया तह. व जिला छतरपुर .....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/4/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार प्रभारी ईशानगर तह. व जिला छतरपुर द्वारा प्र.क्र 81/अ–19/75–76 बारेलाल ब्राहम्ण बगैरह निवासीगण ग्राम सलैया विरूद्व म.प्र.शासन में भूमि खसरा क्र 2983/1, 2992, 2993, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3004, 3005, 3173 कुल किता 11 स्थित ग्राम सलैया का व्यवस्थावन भूमिस्वामी अधिकारों में दिनांक 1/4/76 को पारित आदेश अनुसार किया गया था तथा उक्त भूमियों में वर्ष 1956 से 1960 तक निगरानीकर्तागण भूमिस्वागी दर्ज है, उक्त आदेश दिनांक 1/4/76 का अमल राजस्व अभिलेख में तत्कालीन पटवारी द्वारा नहीं किया गया , निगरानीकर्तागण द्वारा आदेश दिनांक 1/4/76 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने वावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण उपलब्ध न होने से उक्त आदेश की प्रमाणित प्राते प्राप्त नहीं हो सकी तब निगरानीकर्तागण ने दायरा पंजी वर्ष 1975–76 की मद अ–19 के क्रमांक 81 की प्रमाणित प्रति जिसमें प्रश्नाधीन भूमियों के व्यवस्थापन का आदेश दर्ज है, सहित

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक .R.....2438/एक/15.....जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
12-1-17	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 422/अ–19/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 17/4/15 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदकगण के तर्क में कहा गया कि ग्राम सलैया स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 2983/1, 2992, 2993, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3004/2/1, 3005, 3173 भूमि रकवा क्रमशः 1.100, 0.388, 0.129, 1.570, 0.267, 0.121, 0.372, 0.364, 0.760, 1.230, 0.502 हेक्टेयर का पट्टा आवेदकगण को सम्मिलित रूप से दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत नायब तहसीलदार प्रभारी ईशानगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 81/अ–19/75–76 में पारित आदेश दिनांक 1/4/1976 के द्वारा आवेदकगण को प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदकगण का कब्जा लगभग 60 वर्ष से चला आ रहा है। आवेदकगण का कब्जा दर्ज होने के आधार पर नायब तहसीलदार प्रभारी ईशानगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 81/अ–19/75–76 में पारित आदेश दिनांक 1/4/1976 को आवेदकगण के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित कर भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किए जाना का विधिवत् आदेश पारित किया गया था। उक्त व्यवस्थापन आदेश को किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश का	

R. 2438-B/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अमल किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार महेवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे उनके द्वारा निरस्त किए जाने पर आवेदकगण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे उनके द्वारा प्रचलनशीलता के बिन्दु पर निरस्त कर दिया गया है इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3— निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। आवेदकगण के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 4— आवेदकगण की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 40 वर्ष उनके पक्ष में सम्मलित रूप से प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया था तथा आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर श्रम, धन व्यय कर उक्त भूमि को उन्नत बनाया गया है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा राजस्व अभिलेख में उनके पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश का अमल मात्र इस आधार पर नहीं किया गया कि उक्त व्यवस्थापन का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जबकि उनके द्वारा दायरा पंजी वर्ष 1975—76 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें स्पष्ट रूप से प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन उनके पक्ष में किये जाने का इन्द्राज है। अतएव आवेदकगण को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने का तथा राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि उनके नाम पर दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है। 5— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकगण द्वारा अमल किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदकगण द्वारा उनके पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वर्ष 1975–76 की दायरा पंजी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 1/4/1976 को प्रश्नाधीन भूमि का वर्ष 75–76 से व्यवस्थापन आवेदकगण के पक्ष किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/4/15 एंव अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश दिनांक 24/6/14 तथा नायब तहसीलदार मण्डल महेवा का आदेश दिनांक 7/9/13 निरस्त किये जाते है, परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन भूमि स्थित ग्राम सलैया खसरा क्र 2983/1, 2992, 2993, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3004/2/1, 3005, 3173 भूमि रकवा क्रमशः 1.100, 0.388, 0.129, 1.570, 0.267, 0.121, 0.372, 0.364, 0.760, 1.230, 0.502 हेक्टेयर पर आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	